वापस
पत्रावली से अधिवक्ता वादी उप० आदेश
वादी का वाद नहीं स्वीकार किया जाता है
विरुद्ध प्रार्थना पत्र के लिखा जारी पत्रावली
शामिल किया जावे। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही
नम्बर में दर्ज कर पत्रावली जिल्द होकर
भण्डार के शामिल

सहायक कलक्टर (का०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
98 / 2024	20.05.2024	09.02.2026

बउनवान

1. सुन्दरलाल पुत्र नत्थूराम जाति अहीर निवासी रडवा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. नरेश कुमार पुत्र हुकमचन्द जाति अहीर निवासी रडवा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. शान्ति देवी पत्नी हुकमचन्द जाति अहीर निवासी रडवा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. अनिल पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी रडवा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. नरेन्द्र कुमार पुत्र जयप्रकाश जाति अहीर निवासी रडवा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. सरोज पत्नी ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी रडवा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, हाल जिला खैरथल तिजारा राज0।
7. श्रीमान उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा राज0।
8. प्रबंधक पंजाब नैशनल बैंक शाखा मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
9. प्रबंधक बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अजरका तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक मय इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज वो हु0 ई0 दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री संजय शर्मा –: वादी वकील

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी हाल ख0 नं0 329 रकबा 0.34 है0, वाके ग्राम रडवा तह0 मुण्डावर हाल जिला खैरथल तिजारा में स्थित है। जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल हाल जमाबन्दी संलग्न है।

सहायक कलक्टर (का0द्वि0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

2. यह है कि वर्तमान सैटलमेंट के द्वौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत ख0 न0 264 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा से हाल ख0 न0 329 रकबा 0.34 है0, पैमूद किया गया है।
3. यह है कि गत ख0न0 264 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा आराजी राजस्व रिकॉड में हुकमचन्द पुत्र कल्लु जाति अहीर निवासी रडवा के नाम दर्ज रही है तथा उक्त आराजी पर हुकमचन्द पुत्र कल्लू अपने जीवनकाल में काबिज होकर काश्त करता रहा है।
4. यह है कि हुकमचन्द पुत्र कल्लू जाति अहीर निवासी रडवा को घरेलू खर्चा हेतु पैसों की आवश्यकता होने पर हुकमचन्द ने उक्त आराजीयत सालिम के बेचान का सौदा मिन वादी से कर, मिन वादी के हक में दिनांक 27/6/1997 को उप पंजियक कार्यालय मुण्डावर में बएवज प्रतिफल बैयनामा पंजिबद्ध करा दिया तथा आराजी पर मिन वादी को मौके पर कब्जा दे दिया गया तथा मिन वादी वक्त खरीद से ही खरीदशुद्धा आराजी पर काबिज काश्त है।
5. यह है कि मिन वादी ने अपने नाम बैयनामा पंजिबद्ध कराने के बाद, बैयनामा के आधार पर इन्तकाल अपने नाम दर्ज कराने हेतु बैयनामा हल्का पटवारी को दे दिया तथा हल्का पटवारी ने आश्वासन दिया कि आपके नाम जल्द ही इन्तकाल दर्ज कर, आपकों वैयनामा वापिस लौटा दिया जावेगा, जिस पर मिन वादी ने विश्वास कर आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूँ।
6. यह है कि मिन वादी ग्रामीण व्यक्ति रहा है, जो बैयनामा हल्का पटवारी को इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु देने के बाद, सोच लिया कि आराजी पर इन्तकाल दर्ज हो गया तथा आराजी पर काबिज होकर काश्त करता तथा मिन वादी को कभी राजस्व रिर्कोड देखने की आवश्यकता नही पड़ी, लेकिन अब दिनांक 10/5/2024 को मिन वादी को राजस्व रिर्कोड की आवश्यकता होने पर राजस्व रिर्कोड की नकल प्राप्त की तो मिन वादी को जानकारी हुयी है कि आराजी में मिन वादी के नाम बैयनामा इन्तकाल दर्ज नहीं होकर, आराजी विक्रेता हुकमचन्द के नाम दर्ज रही तथा हुकमचन्द के फौत होने पर आराजी हुकमचन्द के वारिसान के नाम दर्ज चली आ रही है। इसलिए मिन वादी विवादित आराजी में प्रतिवादी स0 1 ल0 5 का नाम हजफ कराकर, विवादित आराजी का अपने आपकों बैयनामा के आधार कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित कराकर, इसी प्रकार से अपने नाम का अंकन राजस्व रिर्कोड में दर्ज कराकर, राजस्व रिकॉड दूरूस्त कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा इश्तकरारहक मय दूरूस्ती पेश किया जाना लाजिमी आया है।
7. यह है कि मिन वादी ने राजस्व रिकॉड की नकूलाय प्राप्त कर, प्रतिवादी स० 1 ल० 5 से राजस्व रिर्कोड दूरूस्त कराने बाबत कहा तो प्रतिवादी स० 1 ल० 5 ने धमकी दी है कि आराजी राजस्व रिर्कोड में हमारे नाम दर्ज है तथा हम आराजी को बिना कब्जा दिये ही दिगर व्यक्ति को बेचान कर देगे तथा राजस्व रिकॉड दूरूस्त कराने से मना

सहायक कलक्टर (का०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

कर दिया। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखारमत पैदा होती है। यदि वाकई प्रतिवादी स० 1 ल० 5 राजस्व रिर्कोड में अपने नाम का गलत इन्द्राज दर्ज होने का बेजा फायदा उठाकर, आराजी को बिना कब्जा दिये ही खुर्द बुर्द कर दिया तथा मिन वादी को आराजी से बेदखल कर, काश्त नहीं करने दिया तो मिन वादी को नापूर्ती होने वाली क्षति होगी, चूँकि मिन वादी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। इसलिए मिन वादी अपने हक व अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा हु० ई० दवामी पेश किया जाना लाजिमी आया है।

8. यह हे कि दावा के लिये बिनायदावी व बिनायमुखारमत दिनांक 10/5/2024 को गलत इन्द्राज की जानकारी होने व प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रिकॉड दूरुस्त कराने से मना करने व ऐलानिया धमकी देने से पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।
9. यह है कि दावा इश्तकरारहक मय दूरुस्ती का पेश किया जा रहा है। जिसमें राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोयद व श्रीमान उप पंजियक महोदय, मुण्डावर को पक्षकार बनाया गया है, परन्तु राजस्थान सरकार के खिलाफ वाद पेश करने पूर्व नोटिस दो माह धारा 80 जा० दी० का दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस नही दिया जा सका है। इसलिए नोटिस दिये जाने से माफी चाहने हेतु व बिला नोटिस दिये दावा पेश करने की इज्जाजत हेतु अलग से वादपत्र के साथ धारा 80 (2) जा० दी० का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना है कि वाद बहक वादी व तर० प्रतिवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे–

(अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दूरुस्ती इस अमर की पारित की गत ख0 न0 264 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा से पैमूद हाल ख0 न0 329 रकबा 0.34 है0, वाके ग्राम रडवा तह0 मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैस्थल तिजारा, का मिन वादी को बैयनामा दिनांक 27/6/97 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, इसी कदर मिन वादी के नाम का अंकन राजस्व रिर्कोड दर्ज किया, राजसव रिकॉड में दर्ज प्रतिवादी स० 1 ल० 5 का नाम हजफ कर, राजस्व रिर्कोड दूरुस्त फरमाया जावे।

(ब) यह है कि डिकी हु० ई० दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वो वादपत्र के पैरा सं० 1 में दर्ज विवादित आराजी ख0न0 329 रकबा 0.34 हे0, वाके ग्राम रडवा तह० मुण्डावर को कही रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिन वादी को आराजी से बेदखल कर, आराजी पर कब्जा करे, ना ही मिन वादी के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे, व रिकॉड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(स) यह है कि खर्चा मुकदमा मिन वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(द) अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे बख्शी जावे।

वादी का वाद को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, बाद तामिल प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 की ओर से इकबाल जबाव दावा पेश किया गया। जो पत्रावली शामिल है।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2078, प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2044, प्रदर्श–5 रजिस्टर्ड बैयनामा पेश की।

वादी (प्रार्थी) की विस्तृत बहस
माननीय न्यायालय के समक्ष वादी की ओर से निवेदन इस प्रकार है विवादित भूमि का विवरण एवं स्वामित्व का आधार वादी सुन्दरलाल द्वारा प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी खसरा नं. 329 रकबा 0.34 हैक्टेयर, ग्राम रडवा, तहसील मुण्डावर है, जो वर्तमान सैटलमेंट में पुराने खसरा नं. 264 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा से पैमाइश होकर बनी है। राजस्व रिकॉर्ड से यह निर्विवाद प्रमाणित है कि उक्त भूमि पूर्व में हुकमचन्द पुत्र कल्लू के नाम दर्ज थी और वह जीवनकाल में काबिज काश्तकार था।

पंजीबद्ध बैयनामा (Registered Sale Deed) से अधिकार सिद्ध
हुकमचन्द ने घरेलू आवश्यकता हेतु दिनांक 27.06.1997 को वादी के पक्ष में विधिवत प्रतिफल प्राप्त कर पंजीबद्ध बैयनामा उप–पंजीयक कार्यालय मुण्डावर में निष्पादित किया। बैयनामा प्रदर्श–5 के रूप में पेश है। पंजीबद्ध दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम व पंजीयन अधिनियम के अनुसार प्रामाणिक एवं सर्वोत्तम साक्ष्य है। कानून का सिद्धांत है कि पंजीबद्ध विक्रय विलेख से स्वामित्व एवं कब्जा दोनों हस्तांतरित हो जाते हैं, विशेषकर जब मौके पर कब्जा भी दे दिया गया हो।

कब्जा (Possession) का निरंतर होना
बैयनामा के साथ ही विक्रेता ने वादी को मौके पर कब्जा दे दिया और वादी वर्ष 1997 से लगातार भूमि पर काश्त कर रहा है। प्रतिवादीगण कभी भी वास्तविक कब्जा सिद्ध नहीं कर सके। अतः वादी कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार है।

इन्तकाल दर्ज न होना – मात्र राजस्व त्रुटि (Clerical/Revenue Error)
वादी ने बैयनामा पटवारी को इन्तकाल हेतु दिया था, परन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से नामांतरण दर्ज नहीं हुआ। स्थापित विधि सिद्धांत है राजस्व रिकॉर्ड स्वामित्व का सृजन नहीं करता, केवल उसका प्रतिबिम्ब (record of possession) होता है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

इसलिए केवल जमाबन्दी में नाम बने रहने से वारिसान को अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जबकि मूल मालिक स्वयं भूमि बेच चुका था। वारिसों (प्रतिवादी 1–5) का कोई अधिकार नहीं हुकमचन्द द्वारा विक्रय के बाद भूमि उसकी संपत्ति नहीं रही। अतः उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसों के नाम दर्ज होना अवैध व शून्य (void entry) है।

राजस्व अभिलेख में गलत इन्द्राज सुधारना न्यायालय की वैधानिक शक्ति है – धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत घोषणात्मक डिक्री एवं दुरुस्ती दी जा सकती है।

वादी के अधिकारों पर वास्तविक खतरा (Cause of Action)
जब वादी ने रिकॉर्ड सही कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने भूमि बेचने की धमकी दी, कब्जा छीनने की चेतावनी दी, इससे स्पष्ट है कि वादी को अपूरणीय क्षति का खतरा है। इसलिए धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत स्थायी निषेधाज्ञा (Permanent Injunction) आवश्यक है।

वाद अवधि (Limitation) के भीतर
वादी को गलत इन्द्राज की जानकारी 10.05.2024 को नकल प्राप्त होने पर हुई। घोषणा व दुरुस्ती हेतु वाद ज्ञान की तिथि से माना जाता है, अतः वाद पूर्णतः अवधि के भीतर है।

कानूनी निष्कर्ष
पंजीबद्ध विक्रय विलेख = वैध स्वामित्व का हस्तांतरण
निरंतर कब्जा = खातेदारी अधिकार की पुष्टि
गलत जमाबन्दी = दुरुस्ती योग्य
वारिसों का नाम = अवैध इन्द्राज
प्रतिवादियों की धमकी = स्थायी निषेधाज्ञा आवश्यक

अंतिम प्रार्थना
अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादी को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये। राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी 1–5 के नाम हटाकर वादी का नाम दर्ज कराया जाये। प्रतिवादियों को भूमि बेचने, कब्जा छीनने अथवा हस्तक्षेप करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाये।

पत्रावली, वादी के वाद के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है
1. वाद का संक्षिप्त कथन
वादी ने कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नं. 329 रकबा 0.34 हैक्टेयर, ग्राम रडवा पूर्व में खसरा नं. 264 से पैमाइश होकर बनी है। उक्त भूमि मूल रूप से हुकमचन्द पुत्र कल्लू के नाम दर्ज थी, जिसने दिनांक 27.06.1997 को विधिवत पंजीबद्ध विक्रय विलेख द्वारा प्रतिफल प्राप्त कर वादी के पक्ष में विक्रय कर कब्जा सौंप दिया। वादी तब से निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

वादी ने यह भी कहा कि बैयनामा पटवारी को नामांतरण हेतु दिया गया किन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से नामांतरण दर्ज नहीं हुआ और बाद में हुकमचन्द की मृत्यु उपरान्त उसके वारिसों के नाम दर्ज हो गये। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि विक्रय एवं बेदखली की धमकी दिये जाने से वाद प्रस्तुत किया गया।

2. प्रतिवादियों का कथन

प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर वाद का विरोध किया तथा अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना बताते हुए वादी के अधिकार से इन्कार किया।

3. विचारणीय बिन्दु (Points for Determination)

न्यायालय के समक्ष निम्न बिन्दु विचारणीय हैं

क्या वादी दिनांक 27.06.1997 के पंजीबद्ध बैयनामा के आधार पर विवादित भूमि का वास्तविक खरीदार है?

क्या वादी विवादित भूमि पर कब्जेकाश्त है?

क्या राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम गलत इन्द्राज है एवं दुरुस्ती योग्य है?

क्या वादी स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है?

4. साक्ष्य एवं अभिलेखों का परीक्षण

वादी द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये –

प्रदर्श–1 : जमाबन्दी सम्वत 2078

प्रदर्श–2 व 3 : मिलान क्षेत्रफल

प्रदर्श–4 : पुरानी जमाबन्दी सम्वत 2044

प्रदर्श–5 : पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 27.06.1997

(i) विक्रय विलेख का प्रभाव

प्रदर्श–5 पंजीबद्ध दस्तावेज है। पंजीबद्ध विक्रय विलेख विधि अनुसार प्रामाणिक साक्ष्य होता है तथा इससे स्वामित्व का हस्तांतरण सिद्ध होता है। प्रतिवादीगण उक्त बैयनामा को अवैध या कूटरचित सिद्ध नहीं कर सके।

(ii) कब्जे का प्रश्न

वादी ने निरन्तर काश्त का कथन किया जिसे प्रतिवादी खण्डित नहीं कर सके। कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दिया गया जिससे यह सिद्ध हो कि प्रतिवादीगण वास्तविक कब्जे में हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि वादी खरीद दिनांक से कब्जेकाश्त है।

(iii) राजस्व रिकॉर्ड का प्रभाव

स्थापित विधि सिद्धान्त है कि जमाबन्दी स्वामित्व का सृजन नहीं करती बल्कि केवल अभिलेखीय प्रविष्टि होती है। जब मूल खातेदार हुकमचन्द भूमि विक्रय कर चुका था, तब उसकी मृत्यु के बाद वारिसों के नाम दर्ज होना अधिकार उत्पन्न नहीं करता। अतः यह गलत इन्द्राज है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-विजारा)

(iv) अवधि (Limitation)
वादी को गलत प्रविष्टि की जानकारी 10.05.2024 को नकल प्राप्त होने पर हुई। घोषणा व दुरुस्ती हेतु वाद ज्ञान तिथि से गणनीय है, अतः वाद अवधि के भीतर है।

5. निषेधाज्ञा (Permanent Injunction)
प्रतिवादीगण द्वारा भूमि विक्रय व बेदखली की धमकी दी गई। यदि निषेधाज्ञा न दी जाए तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति धन से सम्भव नहीं है। अतः धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वादी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।

6. न्यायालय का निष्कर्ष
उपरोक्त साक्ष्यों, दस्तावेजों एवं विधिक सिद्धान्तों से यह सिद्ध होता है कि वादी वैध खरीदार है, वादी कब्जेकाश्त खातेदार है, प्रतिवादियों के नाम का राजस्व इन्द्राज त्रुटिपूर्ण है, वादी संरक्षण का अधिकारी है। अतः वादी का वाद सिद्ध होता है।

निर्णय

वादी के वाद को स्वीकार किया जाता है एवं वादी सुन्दरलाल को विवादित आराजी खसरा नं. 329 रकबा 0.34 हैक्टेयर, ग्राम रडवा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व अभिलेख से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम हटाकर वादी का नाम दर्ज कर दुरुस्ती की जाये। प्रतिवादीगण को स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे भूमि का विक्रय/रहन/हस्तांतरण नहीं करेंगे, वादी को बेदखल नहीं करेंगे, काश्त कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। हर्जा खर्चा अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिकी दिनांक
98 / 2024	20.05.2024	09.02.2026

बउनवान

1. सुन्दरलाल पुत्र नत्थूराम जाति अहीर निवासी रडवा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. नरेश कुमार पुत्र हुकमचन्द जाति अहीर निवासी रडवा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. शान्ति देवी पत्नी हुकमचन्द जाति अहीर निवासी रडवा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. अनिल पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी रडवा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. नरेन्द्र कुमार पुत्र जयप्रकाश जाति अहीर निवासी रडवा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. सरोज पत्नी ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी रडवा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, हाल जिला खैरथल तिजारा राज0।
7. श्रीमान उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा राज0।
8. प्रबंधक पंजाब नैशनल बैंक शाखा मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
9. प्रबंधक बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अजरका तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक मय इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज वो हु0 ई0 दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: पर्चा डिकी :–

वादी की ओर से **श्री संजय शर्मा एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थिति में इस वाद में **दिनांक** 09.02.2026 को **श्री सृष्टि जैन, सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निर्णय हुआ था। पर्चा डिकी जारी की जाती है :–

वादी सुन्दरलाल को विवादित आराजी खसरा नं. 329 रकबा 0.34 हैक्टेयर, ग्राम रडवा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व अभिलेख से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम हटाकर वादी का नाम दर्ज कर दुरुस्ती की जाये। प्रतिवादीगण को स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाता है

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

कि वे भूमि का विक्रय / अन्य / हस्तांतरण नहीं करेंगे, भूमि को [illegible] नहीं करेंगे, [illegible] नहीं करेंगे। [illegible] आदेश जारी करें।

यह आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखवाकर आदेश बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी की गई।

(सुमित जैन)
सहायक कलक्टर
[illegible]

[illegible] (handwritten stamp)

पत्रावली पेश हो। वकील प्रार्थी उपस्थित।

[illegible] वाद का अन्तिम निर्णय की सूचना

[illegible] लिया है इस पत्रावली के [illegible]

पत्रावली [illegible] के [illegible] पत्रावली

[illegible] [illegible] के [illegible] है [illegible] [illegible]

[illegible] शामिल

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)